प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश तथा

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

<u>रिट अपील क्रमांक 59/2007</u>

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,

एस.ई.सी.एल./बिलासपुर एवं अन्य

बनाम

नवल किशोर मिश्रा और अन्य

<u>आदेश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचार हेतु आदेश</u>

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सहमत : माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

आदेश हेतु सूचीबद्ध : 01/04/2009

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश तथा

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

रिट अपील क्रमांक 59/2007

अपीलार्थीगण :

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एसईसीएल, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)।
2. उप-क्षेत्र प्रबंधक, चरचा पश्चिम, एसईसीएल, जिला - सरगुजा (छ.ग.).
3. मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिम, एसईसीएल, बैकुण्ठपुर
4. क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एसईसीएल, बैकुंठपुर क्षेत्र, बैकुंठपुर

बनाम

प्रत्यर्थीगण :

1. नवल किशोर मिश्रा, पिता नागेश्वर मिश्रा, उम्र लगभग 38 वर्ष, जनरल मजदूर, चरचा, पश्चिम कोलियरी, एस.ई.सी.एल., जिला-सरगुजा (सी.जी.)।
2. भूपत नाथ प्रसाद, पिता - राम दुलार सोनी, उम्र लगभग 36 वर्ष, जनरल मजदूर, चरचा, पश्चिम कोलियरी, एस.ई.सी.एल., जिला- सरगुजा (छ.ग.)।

(रिट अपील अधिनियम, 2006 की धारा 2 उपधारा (1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ को अपील)

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण हेतु : श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु : श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

आदेश

(01.04.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[1]. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 1685/2001 में पारित दिनांकित आदेश 3 जनवरी 2006 से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने यह रिट अपील दायर की है।

[2]. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं को दिनांकित आदेश 22.10.1995 द्वारा सामान्य मजदूर श्रेणी-1 के पद पर नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति आदेशों की प्रतियां अनुलग्नक पी-1 और पी-2 के रूप में रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती थीं, यदि यह पाया जाता कि प्रत्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार के समय या नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता, निवास, जाति आदि के झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। प्रत्यर्थियों ने यह भी सत्यापन दिया था कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी है तो उनकी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी। प्रत्यर्थियों की सेवा दिनांक 22/23-10-1997 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई (रिट याचिका में अनुलग्नक पी-3) इस आधार पर कि प्रत्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आई.टी.आई. परीक्षा प्रमाण पत्र वास्तविक

नहीं थे, क्योंकि सचिव, राज्य परीक्षा बोर्ड, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश, जबलपुर से उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि प्रमाण पत्र जाली हैं (अनुलग्नक ए-5)। प्रत्यर्थियों को दिनांक 22/23-10-1997 को समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि दो प्रत्यर्थियों सहित छह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में एक सामान्य आदेश था। इस आदेश को उक्त रिट याचिका में रिट न्यायालय के समक्ष केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। रिट न्यायालय (विद्वान एकल न्यायाधीश) ने यह विचार व्यक्त किया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि प्रमाण पत्र झूठे थे और वास्तविक नहीं थे, जांच होनी चाहिए और कर्मचारियों को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिए बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रिट कोर्ट ने **बासुदेव तिवारी बनाम सिदो कान्हू विश्वविद्यालय एवं अन्य, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 3261** के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया और आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-3 को निरस्त कर दिया और प्रत्यर्थियों को बकाया वेतन का 30% प्राप्त करने का अधिकार देते हुए रिट याचिका को अनुमति दे दी। इस अपील में याचिकाकर्ताओं/प्रबंधन द्वारा इसे चुनौती दी गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[3]. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने यह तर्क देकर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती नहीं दी है कि वास्तव में उनके द्वारा प्रस्तुत आई.टी.आई. परीक्षा के प्रमाण पत्र फर्जी नहीं थे, बल्कि असली थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अपेक्षित नहीं है और ऐसे मामलों में रिट जारी करने का न्यायालय का विवेकाधिकार न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति का मामला होगा और ऐसे मामलों में केवल एक ही निष्कर्ष संभव होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। उन्होंने रिट याचिका की विषय-वस्तु और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों, विशेष रूप से अनुलग्नक पी-4 के रूप में दायर प्रत्यर्थियों में से एक के अभ्यावेदन का उल्लेख किया।

[4]. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी.एन. प्रजापति ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थ काफी समय से सामान्य मजदूर श्रेणी-1 के पद पर कार्यरत थे तथा सेवा समाप्ति का आदेश एक बड़ा दंड था, इसलिए याचिकाकर्ताओं के प्राधिकारियों को प्रत्यर्थियों की सेवा समाप्ति से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक था।

[5]. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट अपील तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

[6]. **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1999) 6 एस.सी.सी. 237** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया हैं कि यदि स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति पर, केवल एक निष्कर्ष संभव और अनुमेय है, तो न्यायालय को केवल इसलिए रिट जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[7]. **ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम कोनेटी वेंकटेश्वरुलु एवं अन्य 2005 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू 5175** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्णीत किया हैं कि यदि आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई है, तो उम्मीदवारी को अस्वीकार करना उचित है, भले ही फॉर्म के उस भाग में गलत/गलत जानकारी दी गई हो जो उम्मीदवार पर लागू नहीं होती और यह तर्क कि यह अप्रासंगिक है या असावधानी से उत्पन्न हुई है, मान्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया हैं कि यदि कोई सूचना मांगी जाती है, तो नियोक्ता ही अंतिम निर्णयकर्ता है और अभ्यर्थी को मांगी गई सूचना की प्रासंगिकता के बारे में निर्णय लेने तथा उसे देने या न देने का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

[8]. इसके अलावा **अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ (2007) 4 एससीसी 54** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया हैं कि "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी दिए गए मामले में तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक कि पूर्वाग्रह प्रदर्शित न हो। उक्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग वहां आवश्यक नहीं है जहां यह एक निरर्थक अभ्यास

होगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया हैं कि 'कानून की अदालत बेकार की औपचारिकता के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन पर जोर नहीं देती है। वह ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा, जहां मौजूदा तथ्यात्मक स्थिति या कानूनी परिणामों के संदर्भ में परिणाम समान रहेगा।" यह एक ऐसा मामला था जिसमें याचिकाकर्ता कर्मचारी का चयन अवैध था क्योंकि वह कट-ऑफ तिथि तक योग्य नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया हैं कि नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अयोग्य होने के कारण, उसे सुनवाई का अवसर देना निरर्थक होता।

[9]. वर्तमान मामले में तथ्य स्पष्ट और स्वीकार्य हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रत्यर्थियों को जाली और फर्जी आई.टी.आई. परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तरवादीगण इस मामले में कोई तर्क लेकर नहीं आए हैं कि उनके प्रमाण-पत्र जाली या फर्जी नहीं थे या उन्होंने वास्तविक और सही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे। उन्होंने संबंधित प्राधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट को भी चुनौती नहीं दी है, जिसका उल्लेख समाप्ति आदेश में किया गया है। हमने रिट याचिका की विषय-वस्तु का अध्ययन किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आई.टी.आई. प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता या उनके द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के संबंध में कोई दलील प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां तक कि प्रत्यर्थ संख्या 1 नवल किशोर मिश्रा (अनुलग्नक पी-4) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में भी यह दलील प्रस्तुत नहीं की गई है कि उन्हें झूठे या गलत आधार पर हटाया गया है। रिट याचिका और अभ्यावेदन में एक ही दलील प्रस्तुत की गई है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है और कुछ नहीं। क्या ऐसी स्थिति में, जहां प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर समाप्ति को चुनौती नहीं दी है कि उन्हें गलत बहाने से समाप्त किया गया है या उनके पास वास्तविक प्रमाण पत्र थे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक था? हमारे विचार में, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक नहीं था, क्योंकि, यदि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को वास्तविक होने का दावा नहीं किया जाता है,

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तो जांच करने और उसी निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्देश एक निरर्थक अभ्यास होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है। उक्त मामले में, सिंडिकेट द्वारा दिनांक 24.01.1986 को पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, दिनांक 4 फ़रवरी 1986 को याचिकाकर्ता को व्याख्याता नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय के प्रासंगिक विधानों के अनुसार और इस आधार पर कि वह विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई द्वारा निजी प्रबंधन के अधीन एक संबद्ध महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्यरत था, अपनी सेवा को नियमित करने के लिए कुलपति के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। दिनांकित पत्र 07.05.1993 द्वारा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि कुलपति ने उसका अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया है। एक अन्य संचार माध्यम से, उसे सूचित किया गया कि कुलपति ने इस आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने का निर्देश दिया है कि दिनांक 24.01.1986 को सिंडिकेट को व्याख्याता की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था और इसलिए उसकी नियुक्ति वैध नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा दिनांक 24.01.1986 के प्रस्ताव द्वारा की गई याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध थी और इस आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि सेवाओं की समाप्ति उचित है। इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम (1951 का 27) की धारा 35(3) के प्रावधानों का अवलंब लेते हुए अभिनिर्णीत किया है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई नियुक्ति अधिनियम, क़ानून या विनियमों आदि के प्रावधानों के विपरीत थी, एक निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए और जब तक ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक समाप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, यह जाँच आवश्यक है कि क्या ऐसी नियुक्ति अधिनियम आदि के प्रावधानों के विपरीत थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी मामले में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पूर्व शर्त पूरी नहीं होती। ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, अनिवार्य रूप से जाँच नोटिस जारी करना होगा और ऐसी जाँच करते

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समय, जिस व्यक्ति की नियुक्ति जाँच के अधीन है, उसे नोटिस जारी करना होगा और फिर आदेश पारित किए जाएँगे।

[10]. वर्तमान मामले में, किसी भी तथ्य के संबंध में जांच आवश्यक नहीं होगी क्योंकि नकली और झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित तथ्यों को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। यहां तक कि हमारे समक्ष बहस के दौरान भी इस आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए, यह मामला तथ्यों के आधार पर बासुदेव तिवारी (पूर्वोक्त) मामले से अलग है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया था कि कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आधारों के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करने के लिए जाँच आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[11]. श्री डी.एन.प्रजापति ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि सामान्य मजदूर श्रेणी-1 के पद पर नियुक्ति के लिए आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना आवश्यक योग्यता नहीं है। उन्होंने एक दस्तावेज, दिनांकित पत्र 14/15.3.2008 का उल्लेख किया, जो लोक सूचना अधिकारी, एस.ई.सी.एल., बिलासपुर को क्षेत्रीय लोक सूचना अधिकारी, बैकुंठपुर क्षेत्र द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा मांगी गई सूचना के मामले में संबोधित किया गया था, जिसे हमारे समक्ष आई.ए. क्रमांक 3 के साथ प्रस्तुत किया गया था। उक्त दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 4, पैरा 6 में उल्लेख किया गया है कि सामान्य मज़दूर के पद के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आई.टी.आई. के मानक को प्रमाणित किया गया है। उनका तर्क था कि चूँकि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए कोई योग्यता आवश्यक नहीं थी, इसलिए आई.टी.आई. के ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर सेवा समाप्ति उचित नहीं है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग मामले (पूर्वोक्त) में, फॉर्म के उस हिस्से में गलत जानकारी दी गई थी जो उम्मीदवार पर लागू नहीं होती थी। अस्वीकृति को उचित मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जिस उद्देश्य के लिए सूचना मांगी गई थी, उसके संबंध में नियोक्ता ही अंतिम रूप से निर्णायक है। सूचना की प्रासंगिकता का निर्णय उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जा

सकता है।" वर्तमान मामले में भी, यह संभव है कि चयन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया होगा क्योंकि आई.टी.आई. का मानक राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है या ऐसे प्रमाण-पत्रों को अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया में कुछ महत्व दिया गया होगा, जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि नियोक्ता ही इस सब के लिए अंतिम रूप से निर्णायक था। इन प्रमाणपत्रों की प्रासंगिकता क्या थी, इसका निर्णय प्रत्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाना है और प्रत्यर्थियों को उक्त प्रमाणपत्रों की अनदेखी करने की प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[12]. उपर्युक्त चर्चा के लिए, रिट अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और रिट याचिका खारिज किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[13]. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ----- Uday Shankar Dewangan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur